

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

अरुण्य मदन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स: 05946-220003, ई-मेल: cfwkum-forest-uk@nic.in

पत्रांक: 357 / 12-1

हल्द्वानी, दिनांक, 14 अगस्त 2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

सन्दर्भ: भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/२९/२०२१/एफ०सी०/६२० दिनांक २६.०८.२०२१।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से कतिपय आपत्तियों लगायी गयी, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा अपनी पत्र संख्या 281/12-1 दिनांक 24.07.2025 से आपत्तियों का उत्तरालेख इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर मय संलग्नकों के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सादर प्रेषित की जा रही है।

(संलग्न: उपरोक्तानुसार।)

भवदीय,

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक: 357/ 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को उनकी पत्र संख्या 281/12-1 दिनांक 24.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० विनय भार्गव)

वन संरक्षक,

पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग
रामनगर (नैनीताल)



dfo_ramnagar@rediffmail.com, दूरभाष/फैक्स नं० 05947-251362

पत्रांक 281 / 21-5

दिनांक,

24/7/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोठा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।

संदर्भ:-

आपका पत्र 917/23सी० दिनांक 21.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है की विषांकित प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रामनगर द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण पर भारत सरकार के पत्र 8वी०/यू०सी०पी०/०६/२९/२०२१/एफ०सी०/६२० दिनांक 26.08.2021 द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। जो निम्नवत है:-

क्र०स०	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु सं० 1 तथा 2 के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत स्पष्टीकरण अपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि न ही के०एम०एल० फाईल पर गांवों की स्थिति अंकित की गयी है न ही आवश्यक दस्तावेजों जैसे लाईन मैप, के०एम०एल० पर गांवों- अमगढी, पाटकोट की स्थिति, वर्तमान मार्ग का समरेखन इत्यादि द्वारा इस तथ्य को पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त गांवों से लोगों को कोटाबाग ब्लॉक तक आने के लिए 17.00 कि०मी० कम दूरी की आवश्यकता क्यों है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा के०एम०एल० फाईल पर गांवों अमगढी-पाटकोट की स्थिति, वर्तमान मार्ग का समरेखन इत्यादि की स्थिति दर्शित कर ऑनलाईन अपलोड करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है की प्रकरण में के०एम०एल० फाईल पर गांवों अमगढी, पाटकोट की स्थिति दर्शित कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है। वर्तमान में सबसे दूरसत गांव अमोठा के ग्रामवासियों को अपने ब्लॉक कोटाबाग जाने के लिए वाया रामनगर ब्लॉक होकर जाना पड़ता है, जिस कारण उन्हें 67 किमी० की दूरी तय करनी पड़ती है। अमोठा से डोला हाईस्कूल तक मार्ग निर्मित होने के पश्चात इन ग्रामवासियों को 17.40 किमी० में ही कोटाबाग ब्लॉक की संयोजकता प्राप्त हो जायेगी। इस प्रकार 49.60 किमी० की दूरी इस मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को कम तय करनी पड़ेगी। (लाईन प्लान संलग्न)
2	बिन्दु सं० 4 के प्रतिउत्तर में यह सूचित किया गया है कि सी०ए० क्षेत्र प्रस्तावित दोनों प्रकरणों के लिए पृथक-पृथक है किन्तु यथानुसार के०एम०एल० फाईल को संशोधित नहीं किया गया है तथा अभी भी पूर्व की ही भौति प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/40832/2019 के सी०ए० क्षेत्र के साथ ओवरलेपिंग दर्शित हो रही है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र को के०एम०एल० फाईल पर संशोधन कर पुनः अपलोड करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित सी०ए० क्षेत्र को के०एम०एल० फाईल पर संशोधन कर पुनः अपलोड कर दी गयी है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिगन्ध नायक)

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक:- 281 /

दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्द्रार नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

दिगन्ध नायक

प्रभागीय वनाधिकारी,

रामनगर वन प्रभाग, रामनगर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामनगर (नैनीताल)
Office of The Executive Engineer, C.D.P.W.D. Ramnagar
E-Mail:- eecdrmr@rediffmail.com

पत्रांक
सेवा में

917 / 23 सी0

दिनांक 21/05/2025

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग
रामनगर।

विषय:-

सन्दर्भ:-

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 93/2015 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र नैनीताल में अमोटा से डोला हाईस्कूल तक लिंक मार्ग का नव निर्माण।
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/29/2021/एफ0सी0/620 दिनांक 26.08.2021

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्नप्रकार है:-

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु सं0 1 तथा 2 के प्रतिउत्तर में प्रस्तुत स्पष्टीकरण अपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि न ही के0एम0एल0 फाईल पर गांवों की स्थिति अंकित की गई है न ही आवश्यक दस्तावेजों जैसे लाईन मैप, के0एम0एल0 पर गांवों-अमगढी, पाटकोट की स्थिति, वर्तमान मार्ग का समरेखन इत्यादि द्वारा इस तथ्य को पूर्णतः स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त गांवों से लोगों को कोटाबाग ब्लॉक तक आने के लिए 17.00 किमी0 कम दूरी की आवश्यकता क्यों है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस पर अपना स्पष्ट प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा के0एम0एल0 फाईल पर गांवों अमगढी-पाटकोट की स्थिति, वर्तमान मार्ग का समरेखन इत्यादि की स्थिति दर्शित कर ऑनलाईन अपलोड करें।	के0एम0एल0 फाईल पर गांवों अमगढी- पाटकोट की स्थिति दर्शित कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है। वर्तमान सबसे दूरस्त गांव अमोटा के ग्रामवासियों को अपने ब्लॉक कोटाबाग जाने के लिए वाया रामनगर ब्लॉक होकर जाना पड़ता है, जिस कारण उन्हें 67 किमी0 की दूरी तय करनी पड़ती है। अमोटा से डोला हाईस्कूल तक मार्ग निर्मित होने के पश्चात इन ग्रामवासियों को 17.40 किमी0 में ही कोटाबाग ब्लॉक की संयोजकता प्राप्त हो जायेगी। इस प्रकार 49.60 किमी0 की दूरी इस मार्ग के निर्माण होने से ग्रामवासियों को कम तय करनी पड़ेगी। (लाईन प्लान संलग्न)
2	बिन्दु सं0 4 के प्रतिउत्तर में यह सूचित किया गया है कि सी0ए0 क्षेत्र प्रस्तावित दोनों प्रकरणों के लिए पृथक-पृथक हैं किन्तु यथानुसार के0एम0एल0 फाईल को संशोधित नहीं किया गया है तथा अभी भी पूर्व की ही भौति प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/40832/2019 के सी0ए0 क्षेत्र के साथ ओवरलेपिंग दर्शित हो रही है। राज्य सरकार से अनुरोध है कि प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र को के0एम0एल0 फाईल पर संशोधन कर पुनः अपलोड करें।	प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र को के0एम0एल0 फाईल पर संशोधन कर पुनः अपलोड कर दी गयी है।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न-लाईन प्लान व संशोधित
के0एम0ए0 फाईल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक

917 / 23 सी0

दिनांक 21/05/2025

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो0नि0वि0 नैनीताल को उपरोक्त सन्दर्भित क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

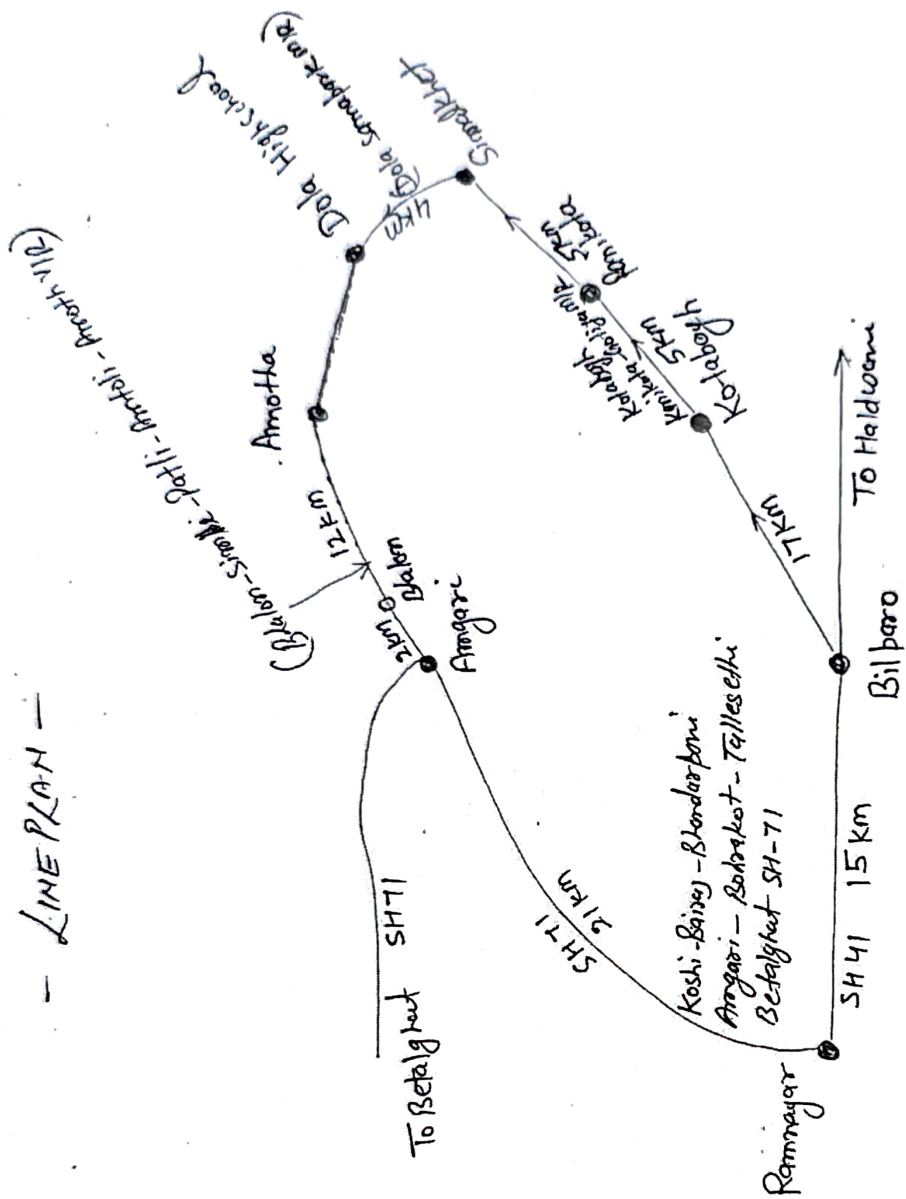
मा0

प्रमुख
21/7/2025

कार्यालय
रामनगर वन प्रभाग
क्र0 सं0 592
पत्रांक सं0 12-1
दि0 21/7/25

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

- LINE PLAN -



Existing Road
Proposed Road



AE

EE



AAE